मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/तौल व्यवस्था/2023/ 2753 **भोपाल, दिनांक 30 /05/2023**

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ________ (समस्त)

विषय : **कृषि उपज मंडियों में तौल व्यवस्था सदैव दुरुस्त रखने के संबंध में।**

कृषि उपज मंडियों की स्थापना के उद्देश्य में ही कृषि उपज की शुद्ध तौल सम्मिलित है। कृषकों की कृषि उपज उपज की सदैव शुद्ध तौल सुनिश्चित करना मंडियों का दायित्व है। मंडियों में तौल व्यवस्था के नियमित निरीक्षण के संबंध में मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 की कंडिका 24 में भी स्पष्ट प्रावधान है।

मंडी उपविधि के उक्त प्रावधानों का पालन मंडियों से अपेक्षित है। कृषि उपज तौल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को निर्मूल किया जा सके इसके लिए पूर्व के निर्देशों/ प्रावधानों के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि -

1. मंडियों में तौल कांटों/ BOT तौल कांटों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएं।
2. नापतौल विभाग से तौल कांटों के सत्यापन की कार्यवाही नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएं।
3. तौल में किसी प्रकार की गड़बड़ी प्रकाश में आने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारी (तुलावटी, व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता) के मंडी अधिनियम, मंडी उपविधि के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार परीक्षण उपरांत प्रतिबंधात्मक/ दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएं।
4. उक्त (3) में अंकित कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जाएं जिससे तौल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के प्रयास को हतोत्साहित किया जा सकें।

(गौतम सिंह)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/तौल व्यवस्था/2023/ 2754

भोपाल, दिनांक 30 /05/2023

सूचनार्थ प्रेषित -

1. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
3. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ________ जिला ________(समस्त)।
4. गार्ड फाईल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल